(7) Q अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न उपागमों (सिद्धान्तों) का वर्णन करें।

Ans - अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक जटिल विषय है। अतः यह स्वाभाविक है कि इसके अध्ययन की विधियाँ भी उसी प्रकार जटिल है। परन्तु इसके बावजूद प्रत्येक शास्त्र या विषय के अध्ययन के एक निश्चित अध्ययन विधि या प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से उसका शास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के भी निश्चित उपागम या विधियाँ हैं जिनका हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं

(a) समग्र वस्तुस्थिति के आधार पर,
(b) आंशिक वस्तुस्थिति के आधार पर।

1 प्रथम वर्ग (First Category) पहले वर्ग

समग्र वस्तुस्थिति के आधार पर जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है तो

इसमें मुख्यतया दो दृष्टिकोण सम्मिलित किया जाता है-

(1) यथार्थवादी दृष्टिकोण एवं
(2) आदर्शवादी दृष्टिकोण। दूसरे वर्ग में व्यावहारिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत नीति-निर्धारण, शक्ति, सन्तुलन, सौदेबाजी तथा खेल सिद्धान्त (Game Theory) निहित होते हैं। जिनकी व्याख्या में हम दोनों वर्गों का अध्ययन इस प्रकार कर सकते हैं

प्रथम वर्ग (First Category)
प्रथम वर्ग के अन्तर्गत मुख्यतया दो सिद्धान्त या दृष्टिकोण सम्मिलित किये जाते हैं-

(A) यथार्थवादी सिद्धान्त (Realistic Theory)
इस सिद्धान्त को 18 वीं तथा 19 वीं शताब्दी में विशेष मान्यता प्राप्त थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको पुनः विकसित किया गया। यथार्थवादी सिद्धान्त प्रयोगों एवं विश्व की वास्तविक घटनाओं पर आधारित होते हैं इस सिद्धान्त के अन्तर्गत शक्ति

था वर्षों पूर्व से चली आ रही मान्यताओं तथा अमूर्त आदर्शों का कोई स्थान या मूल्य नहीं होता। इस सिद्धान्त में तथ्यों या घटनाओं के वास्तविक स्वरूप के अध्ययन के पश्चात् तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जाता है। वर्तमान समय में इस सिद्धान्त का प्रतिपादक मार्गेन्थू है। मार्गेन्थू अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आधार यथार्थवादी सिद्धान्त को ही मानते हैं। क्योंकि इस यथार्थवादी सिद्धान्त में शक्ति को प्रधानता दी गई है। इसी कारण इसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति सिद्धान्त भी कहा जाता है इस सिद्धान्त की मूलभूत मान्यता यह है कि अच्छाई और बुराई, बुद्धि एवं वासना, जीवन-मरण शान्ति एवं युद्ध का एक निरन्तर संघर्ष चल रहा है अतः यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का मूलभूत कारण मनुष्य की स्वयं की स्वार्थसिद्धि तथा शक्ति प्राप्त करने की होड़ है

(b) आदर्शवादी सिद्धान्त - (Idealistic Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन कण्डोर्से ने सन् 1795 में किया था। इस सिद्धान्त का आविर्भाव यथार्थवादी सिद्धान्त के विरोध में हुआ था। इस सिद्धान्त के समर्थक शान्ति को अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर एक कल्याणी पक्ष मानते थे। आदर्शवादी सिद्धान्त के समर्थक समाज के क्रमिक विकास में विश्वास रखते हैं। आदर्शवादी विचारधारा एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जब विश्व में राजनीति तथा अनैतिकता का कोई स्थान नहीं रहेगा एवं इनके स्थान पर विवेक, शिक्षा तथा ज्ञान-विज्ञान के द्वारा मानव कल्याण की प्राप्ति हो सकेगी। वस्तुतः इस सिद्धान्त को आदर्शवादी विचारधारा इस कारण कहा जाता है क्योंकि यह मानव समाज में आदर्श व्यवस्था बनाना चाहता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने आदर्शवाद को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया था जिसके

परिणामस्वरूप उनके 14 सूत्रों के आधार पर संघ की स्थापना हुई थी। इस सिद्धान्त की मान्यता है कि शिक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से विश्व में सुधार लाना एक हद तक संभव हो सकता है।

2. द्वितीय वर्ग (Second Category)

द्वितीय वर्ग के यानी आंशिक वस्तुस्थिति के अन्तर्गत विभिन्न सिद्धान्तों को सम्मिलित किया जाता है जैसे -

(i) ऐतिहासिक सिद्धान्त
(ii) शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त
(iii) खेल सिद्धान्त
(iv) सौदेबाजी का सिद्धान्त तथा
(v) निर्णयपरक सिद्धान्त।

(i) ऐतिहासिक सिद्धान्त (Historical Theory)

यह सिद्धान्त प्राचीन इतिहास तथा परम्पराओं पर आधारित है। इस सिद्धान्त की यह

मूलरूप मान्यता है कि वर्तमान में जो नये कार्य या घटना घटित हो रहा है वह भूतकाल का ही परिणाम है और इस भांति भविष्य में जो घटित होगा वह वर्तमान समय की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं भूतकाल की परम्पराओं एवं विचारों से अवश्य ही प्रभावित होगा। इसी तरह वर्तमान परिस्थितियाँ भावी घटनाओं के स्वरूप को बहुत हद तक प्रभावित एवं निर्धारित करेगी। विकास का यह क्रम निरंतर चलता रहता है विशेषकर! इंगलैंड एवं उसकी शिक्षा पद्धति से प्रभावित राज्यों में इस सिद्धान्त का काफी प्रभाव पड़ा है

ii) शक्ति संतुलन का सिद्धान्त (The Theory of Balance of Power.

सामान्यतः यह दृष्टिकोण 17 वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित रहा। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में विद्यमान सम्बन्धता और व्यवस्था शक्ति

संयुक्त के आने ही से शान्ति
संयुक्त एक संस्था की ऐसी
व्यवस्था है जो विश्व के
राष्ट्रों को [illegible] के
रखने के लिए बाध्य भी
रहती है। परिस्थिति [illegible] करती
न बनाये [illegible] रखती है।
ऐसा राष्ट्रों के मध्य [illegible]
[illegible] की [illegible] के लिए
संयुक्त होता है आवश्यकता
[illegible] का स्वरूप [illegible] पर
[illegible] है राष्ट्र एक उत्तर
[illegible] संयुक्त [illegible] करता
चाहिए है। इसके लिए
[illegible] कि [illegible] एवं परिस्थिति
की जाती है। [illegible]
न [illegible] पक्ष की [illegible]
[illegible] रहते है। होता है
[illegible] भी पक्ष [illegible] के
देता नहीं [illegible] है [illegible]
[illegible] स्थापित [illegible] रूप
है [illegible] [illegible] रूप के
[illegible] [illegible] हो जाता।
[illegible] संयुक्त [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] भी [illegible]
को कर जाता।

लगभग सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक यूरोप में राजनीति का आधार शक्ति-संतुलन ही था। वर्तमान में भी परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में एशिया तथा अफ्रीका के गुटनिरपेक्ष राज्य शक्ति-संतुलन के क्षेत्र में एक प्रकार से संतुलन कायम रखते हैं। शक्ति-संतुलन के फलस्वरूप ही राज्यों की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। युद्धों या विश्वयुद्ध की पुनरावृत्ति को कुछ हद तक रोका जा सकता है तथा विश्व में बहुराज्य व्यवस्था कायम रह सकती है।

(3) खेल सिद्धान्त (Game Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धान्त 20वीं शताब्दी की देन है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक जॉन वान न्यूमैन थे जिन्होंने एक प्रपत्र के द्वारा 1928 में इसे प्रकाशित किया था। इस सिद्धान्त में अनेक समस्याओं के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राजनीति को समझने के लिए खेल को माध्यम बनाया जाता है इस सिद्धान्त के

अनुसार विश्व के परस्पर विरोधी राज्यों को खिलाड़ियों के दो दलों के रूप में माना जाता है एवं उनकी प्रत्येक चाल का भी अनुमान लगाया जाता है। खेल के समान ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक पक्ष की चालों का पूर्वानुमान लगाकर तथा उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर दूसरा पक्ष उसे पराजित करना चाहता है। इस सिद्धान्त की पांच मुख्य मान्यताएं होती हैं

(a) खेल कौशल
(b) संघर्ष
(c) खेल के नियम
(d) सूचना तथा
(e) मूल्यांकन —

खेल सिद्धान्तों का उद्देश्य

ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन करना है जो यह बतला सके कि किस प्रकार की राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में कौन-सा उपाय अधिक लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ इस सिद्धान्त के

आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सफलता पाने के अवसर की सामान्य विशेषताओं का अन्वेषण करना है। खेल सिद्धान्त तीन प्रकार के होते हैं।
(a) शून्य जोड़ खेल,
(b) स्तर जोड़ खेल तथा
(c) अशून्य जोड़ खेल।

खेल सिद्धान्त का प्रेरण अत्यन्त ही रोचक है। यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अव्यावहारिक होता जा रहा है क्योंकि आज राष्ट्र व परिस्थितियां तथा उनकी समस्याएं काफी जटिल हो गई। आज दो राज्यों के स्थान पर सैकड़ों राज्य हैं अतः यह सिद्धान्त वर्तमान में उतना प्रभावी नहीं रह गया है।

(ix) सौदेबाजी का सिद्धान्त (Bargaing Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध अलावा अन्य परिस्थितियों में परस्पर सहयोग एवं सौदेबाजी के अवसर भी मौजूद रहते हैं।

के स्थितियों को छोड़ने वाली नहीं स्थितियाँ कहा जा सकता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक [illegible] हैं। इस सिद्धान्त को [illegible] से सम्बद्ध माना है।

(8) [illegible] राजनीति के [illegible] आवश्यक रूप से निहित होता है।

(9) दो विरोधी [illegible] जिनके [illegible] होता है। ऐसे [illegible] के और [illegible] पक्ष का [illegible] नहीं होते।

(x) नीति निर्माण सिद्धान्त (Policy Making Theory)

20 वीं सदी के दौरान [illegible] मार्टिन [illegible] कुछ [illegible] पश्चात [illegible] ने इस सिद्धान्त को विकसित किया। इसके [illegible] विलियम [illegible] स्नाइडर, जोन्स, [illegible] हर्बर्ट [illegible] ने इसके विकास में योगदान दिया। इस सिद्धान्त को—

यह मान्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्यों की विदेश नीतियों की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। विश्व राजनीति को समझने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की तह तक पहुंचने के लिए विदेश नीति का विश्लेषण आवश्यक है।

(vi) व्यवस्था सिद्धान्त।

इस सिद्धान्त को पद्धति सिद्धान्त भी कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण का प्रवेश सन् 1950 के बाद हुआ। सन् 1950 के बाद मैक्लेलैंड ने एवं जॉर्ज लिस्का द्वारा जीवशास्त्रियों के प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए उसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में लागू किया। सन् 1957 में मोर्टन कैपलान ने इसको विस्तार से प्रतिपादित किया। इस सिद्धान्त की आधारभूत मान्यता यह थी कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाली गतिविधियाँ एवं क्रियाएं विभिन्न अवयवों या अंगों के पारस्परिक सम्बन्धों का परिणाम है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में उपर्युक्त सभी सिद्धान्त भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं कुछ विचार सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को रूपक में रखते हैं तो कुछ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक या अधिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं।

यदि सभी दृष्टिकोण के निहित गुणों को स्वीकार करते हुए उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में प्रयोग किया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के पथ पर अग्रसर हो सकती है।

The End